"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 14 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (31).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती/गैर–रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तन के संबंध में निष्पादित लिखतों पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 23 के अधीन अधिकतम रूपये 2000/– स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 10–65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (31).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–65/2020/वा.क.(पं)/पांच (31), दिनांक 08–09–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

Atal Nagar, the 8th September 2023

NOTIFICATION

No. F 10-65/2020/CT(R)/V(31) .—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, charges a stamp duty maximum of rupees 2000/- under Article 23 of Schedule 1-A of the said Act, on the executed instruments, relating to conversion into landlord rights for allotment of Government land, Settlement of encroached land and concessional/non-concessional permanent leases, for the urban areas.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall be effective till the 31st March, 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10—65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (32).— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3—53/2020/वा.क.(पं.)/पांच (19), दिनांक 4 फरवरी, 2022 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

शीर्षक ''पंजीयन शुल्क की सारणी'' के उप—शीर्षक ''छूट तथा निर्बन्धन'' के सरल क्रमांक (65) के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक (66) जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''(66) नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती/गैर—रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तन के संबंध में, पंजीयन के लिए प्रस्तुत लिखतों पर, अधिकतम 2000/— रूपये पंजीयन शुल्क प्रभार्य करती है।''

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 10—65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (32).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10—65/2020/वा.क.(पं)/पांच(32), दिनांक 08—09—2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

Atal Nagar, the 8th September 2023

NOTIFICATION

No. F 10-65/2020/CT(R)/V(32).— In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F 3-53/2020/CT(R)/V(19), dated 4th February, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

In sub-head "exemption and restriction" of Heading “Table of registration fees”, after serial number (65), the following serial number (66) shall be added, namely:-

"(66) Charges a Registration fees maximum of rupees 2000/- on the instruments presented for registration, relating to conversion into landlord rights for allotment of government land, settlement of encroached land and concessional/non-concessional permanent leases, in the urban areas."

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall be effective till the 31st March, 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.